www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
मंगलवार 21 जनवरी 2020

दैनिक जागरण
आसक्ति से मुक्ति ही प्रसन्नता का द्वार खोलती है

जेपी नड्डा की चुनौती

जेपी नड्डा का भाजपा अध्यक्ष बनना तभी तय हो गया था जब अमित शाह के गृह मंत्री बनने के बाद उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। नए पार्टी अध्यक्ष के रूप में उनकी विधिवत ताजपोशी से यह धारणा निराधार हुई कि गृह मंत्री बनने के बावजूद अमित शाह पार्टी की कमान अपने हाथ में ही बनाए रख सकते हैं। भाजपा ने केवल अपने संविधान के अनुसार ही चलना पसंद नहीं किया, बल्कि यह संदेश भी दिया कि वह उन राजनीतिक दलों सरीखी नहीं है जहां सब कुछ एक व्यक्ति या फिर परिवार के इर्द-गिर्द घूमता है। जेपी नड्डा के अध्यक्ष बनने से यह आरोप लगाने वालों को कुछ नया सोचना होगा कि इस सरकार और पार्टी में सब कुछ नरेंद्र मोदी और अमित शाह की इच्छा के अनुरूप ही होता है। इसी के साथ उन्हें इस पर भी गौर करना होगा कि बीते दो दशक में जहां भाजपा ने करीब दस अध्यक्ष देखे वहीं कांग्रेस सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा अन्य किसी को इस लायक नहीं समझ सकी कि उसे पार्टी की कमान सौंपी जा सके। हैरानी यह है कि कांग्रेस गांधी परिवार से बाहर के किसी नेता को अंतरिम अध्यक्ष बनाने पर भी विचार नहीं कर सकी।

यह भारतीय राजनीति की विडंबना ही है कि जहां भाजपा यह प्रदर्शित कर रही है कि पार्टी का एक आम कार्यकर्ता भी अध्यक्ष पद पर आसीन हो सकता है वहीं देश की सबसे पुरानी पार्टी परिवारवाद से इस कदर चिपकी हुई है कि सोनिया गांधी के अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद बेटे राहुल गांधी ने पार्टी की कमान संभाली और उनके पद छोड़ने के बाद फिर से मां ने अंतरिम अध्यक्ष बनना जरूरी समझा। आखिर इसे लोकतांत्रिक तौर-तरीकों के अनुरूप कैसे कहा जा सकता है? मुश्किल यह है कि परिवारवाद से अन्य अनेक दल भी जकड़े हुए हैं। क्षेत्रीय दल तो एक तरह से परिवारवाद का पर्याय ही बन गए हैं। इस पर आश्चर्य नहीं कि जेपी नड्डा को पार्टी की कमान सौंपते समय गृह मंत्री अमित शाह ने यह रेखांकित किया कि हम वंशवाद के आधार पर चलने वाले दल नहीं हैं। इसी के साथ उन्होंने यह अपेक्षा व्यक्त की कि नड्डा जी पार्टी को नए मुकाम पर ले जाएंगे। वास्तव में जेपी नड्डा के सामने वैसी राजनीतिक सफलता हासिल करना एक बड़ी चुनौती है जैसी अमित शाह ने भाजपा अध्यक्ष के रूप में हासिल की और पार्टी का व्यापक विस्तार कर उसे एक मजबूत दल के रूप में स्थापित किया। जेपी नड्डा को विस्तार के इस सिलसिले को कायम रखना होगा और यह तभी कायम हो सकता है कि जब आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा उल्लेखनीय सफलता हासिल करेगी।

ग्रामीण क्षेत्रों की अनदेखी

जम्मू संभाग के राजौरी जिले के थन्नामंडी तहसील के मंगोटा में स्थानीय लोगों ने एक नदी पर स्वयं पुल बनाकर मिसाल कायम की है। यह सब उस समय हुआ जब जम्मू-कश्मीर में केंद्रीय मंत्रियों के दौरों के बीच विकास कार्य तेजी होने के दावे किए जा रहे हैं। यह पहली बार नहीं है कि प्रशासनिक अनदेखी से खफा लोगों ने खुद ही रुपये एकत्र कर विकास कार्य करवाएं हों। इसे पूर्व भी कई दूरदराज के क्षेत्रों में लोगों ने सड़कें तक बनवा डाली हैं। जम्मू-कश्मीर के दूरदराज के पहाड़ी क्षेत्रों की स्थिति से हर कोई अवगत है। कई ऐसे गांव हैं जहां पर अभी भी संपर्क मार्ग नहीं हैं और लोग नदियों एवं नालों के बीच से जान हथेली पर रखकर गुजरते हैं। इनमें स्कूली बच्चे भी शामिल हैं।

जम्मू-कश्मीर के दूरदराज के पहाड़ी क्षेत्रों की स्थिति से हर कोई अवगत है। कई ऐसे गांव हैं जहां पर अभी भी संपर्क मार्ग नहीं हैं और लोग नदियों एवं नालों के बीच से जान हथेली पर रखकर गुजरते हैं। इनमें स्कूली बच्चे भी शामिल हैं। सरकार को इस मामले का संज्ञान ले कर जरूरी विकास कार्यों को पूरा करना चाहिए

विगत दिवस जिस गांव में लोगों ने पुल का निर्माण किया, वहां पर भी स्थानीय लोग वर्षों से प्रशासनिक कार्यालयों में चक्कर लगाकर पुल बनाने की गुहार लगा रहे थे। विडंबना है कि उनकी किसी ने भी नहीं सुनी और वे नदी के बीच से ही जाने के लिए विवश थे। हैरानगी की बात यह है कि पुल निर्माण में लोगों ने महज 60 हजार रुपये ही खर्च किए। अगर यही पुल सरकार को बनाना होता तो इस पर लाखों रुपये खर्च बताया जाता। होना तो यह चाहिए था कि अधिकारी ग्रामीणों की समस्या को समझते और पुल का निर्माण कार्य कराते, मगर ऐसा नहीं हो पाया। अब ग्रामीणों ने खुद पुल का निर्माण कर पूरे प्रशासनिक तंत्र के कामकाज के तरीके पर ही प्रश्नचिन्ह लगा दिए। प्रशासनिक अधिकारी यह भी भूल गए कि हाल ही में उन्होंने गांव की ओर कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों को यह विश्वास दिलाया था कि सरकार के विकास के एजेंडे में ग्रामीण क्षेत्र प्राथमिकता पर हैं। दुखद है कि चंद दिनों में ही इसे भूला दिया गया। उपराज्यपाल प्रशासन को इस मामले की जांच करानी चाहिए ताकि यह पता चल सके कि किन अधिकारियों की बेरुखी के कारण लोगों को अपने रुपयों से दिन रात एक करके पुल का निर्माण कार्य कराना पड़ा। अगर ऐसा नहीं होता है तो गांव की ओर जैसे कार्यक्रमों का भी कोई लाभ नहीं।

नागरिकता कानून की मनमानी व्याख्या

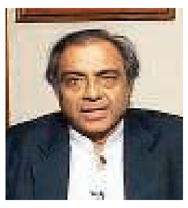

महेश जेठमलानी

संवैधानिक रूप से वैध होने के बाद भी सीएए के विरोधी अपने कुत्सित हितों की पूर्ति के लिए गफलत फैला रहे हैं

देश में एक तबका नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के खिलाफ मुहिम छेड़े हुए है। विरोध करने वाले पाकिस्तान के अहमदिया और शिया मुसलमानों के लिए पैरवी कर रहे हैं और साथ ही म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमानों और श्रीलंकाई तमिलों के लिए भी आवाज उठा रहे हैं। ऐसे में हमें इन देशों के ढांचे और सीएए के स्वरूप को समझना होगा। सीएए में भारतीय नागरिकता देने का आधार ही धार्मिक उत्पीड़न है। चूंकि ये तीनों देश घोषित रूप से इस्लामिक राष्ट्र हैं तो वहां मुसलमानों के धार्मिक उत्पीड़न की दलील टिकती नहीं। अहमदिया मुसलमानों के बारे में हमें पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के मुख्य शिल्पकारों में से एक सर जफीरूल्ला खान अहमदिया थे। उन्होंने ही 1940 के उस कुख्यात लाहौर प्रस्ताव की अवधारणा पेश की थी जिसने पाकिस्तान को एक धार्मिक मुल्क बनाने का आधार तैयार किया। वह पाकिस्तान की पहली संविधान सभा के उन प्रमुख सदस्यों में से एक थे जिन्होंने पाकिस्तान में धर्मनिरपेक्षता की बची-खुची उम्मीदों पर पानी फेरने का काम किया। हालांकि पाक के संस्थापक मुहम्मद अली जिन्ना ने शुरुआती दौर में अपने मुल्क को सेक्युलर ढांचा प्रदान करने के संकेत दिए थे, लेकिन उनकी मौत के साथ ही वे दफन हो गए। रही-सही कसर जिन्ना के उत्तराधिकारी लियाकत अली खान ने पूरी कर दी जिन्होंने मार्च 1949 में 'ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन' के जरिये पाक को एक धर्मांध इस्लामिक देश बनाने की राह पर धकेला। यह प्रस्ताव पाक में गैर-मुस्लिमों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने के लिए ही था। शिया और अहमदिया ने भी इसका समर्थन किया। दरअसल पाक में प्रत्येक मुस्लिम का अरमान अपने मुल्क को मजहबी खाका प्रदान करना था। इस प्रस्ताव के अमल में आने के बाद पाक में हिंदू, सिख और ईसाइयों के हिस्से में उत्पीड़न के सिवाय कुछ नहीं आया। पाकिस्तानी आबादी के अनुपात से इसकी पुष्टि भी होती है। गैर-मुस्लिमों से छुटकारा पाने के बाद बहुसंख्यक सुन्नियों ने अहमदिया को निशाना बनाना शुरू किया। उन्हें मुस्लिम न मानने को लेकर अभियान छेड़ा गया। अहमदिया के बाद शिया निशाने पर आए।

जो लोग पाकिस्तानी मुस्लिमों को सीएए में शामिल करने की दलील दे रहे हैं, उनका आधार शिया और अहमदिया मुसलमानों की मौजूदा स्थिति है। ऐसी दलील देने वाले लोग खुद दोहरे रवैये वाले हैं। प्रमुख मुस्लिम नेताओं में शुमार असदुद्दीन ओवैसी ने जून 2008 में आंध्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी से अनुरोध किया था कि वे हैदराबाद में अहमदिया मुसलमानों को रैली आयोजित न करने दें और ठीक वैसा ही हुआ। इसी तरह मुस्लिम विद्वानों की एक प्रमुख संस्था एमटीएनके ने 2011 की जनगणना में अहमदिया को मुस्लिम मानने पर केंद्र सरकार की आलोचना की। सितंबर 2011 में जामा मस्जिद के शाही इमाम के आह्वान पर दिल्ली में अहमदिया की एक प्रदर्शनी रोकी गई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में भी अहमदिया का प्रतिनिधित्व नहीं है। फरवरी 2012 में आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड ने अहमदिया मस्जिदों को जब्त करने का फरमान सुनाया कि शिया-सुन्नी मस्जिदों का प्रबंधन गैर-मुस्लिमों द्वारा नहीं किया जा सकता। इसके अगले महीने हैदराबाद में अहमदिया मस्जिद पर हमला हुआ। मई 2012 में ही जमीयत-ए-इस्लामी-हिंद ने अहमदिया के पूर्णतया सामाजिक बहिष्कार का एलान किया। इसी दौरान कश्मीर के प्रमुख मुफ्ती ने राज्य सरकार से अनुरोध किया कि विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर अहमदिया को गैर-मुस्लिम घोषित किया जाए। तमिलनाडु और बंगाल में अहमदिया पर हमले की खबरें भी आईं।

जामिया और एएमयू के प्रदर्शनकारी छात्रों ने भी अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है कि क्या वे अहमदिया को मुस्लिम मानते हैं?

अवधेश राजपूत

इसे देखते हुए यदि धार्मिक उत्पीड़न के आधार पर उन्हें नागरिकता दे भी दी जाती है तब देश में वर्ग संघर्ष की एक नई आशंका गहरा सकती है। जहां तक अफगानिस्तान के हजारा शरणार्थियों की बात है तो दिल्ली में उनकी तादाद करीब 500-700 है। ये धार्मिक उत्पीड़न के कारण नहीं, बल्कि तालिबान के अत्याचारों से तंग आकर अपना देश छोड़ आए थे। चूंकि अब पश्चिमी काबुल में हजारा समुदाय के लिए एक बस्ती बना दी गई है तो वे अपने वतन लौट सकते हैं।

श्रीलंका और म्यांमार के अल्पसंख्यकों को भी सीएए से बाहर रखने पर गफलत फैलाई जा रही है। म्यांमार में कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। देश की 90 फीसद आबादी थेरवाद बौद्धों की है। संविधान उन्हें प्रोत्साहन देता है तो साथ ही अल्पसंख्यकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी प्रदान करता है। श्रीलंका का संविधान भी बौद्ध धर्म को वरीयता देता है, लेकिन श्रीलंकाई संविधान का अनुच्छेद 10 और अनुच्छेद 14 सभी धर्मों के अनुयायियों को व्यापक रूप से धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं। श्रीलंकाई सुप्रीम कोर्ट देश को सेक्युलर घोषित कर ही चुका है।

रोहिंग्या का मसला मुख्य रूप से भारत के दो पड़ोसी मित्र देशों म्यांमार और बांग्लादेश के बीच फंसा पेच अधिक है। फिर म्यांमार के रखाइन प्रांत से उनके निर्वासन की कहानी के तार भी आंतरिक संघर्ष से जुड़े हुए हैं। उन्हें लेकर खतरे भी कम नहीं। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने आगाह किया है कि रोहिंग्या शरणार्थियों के संबंध इस्लामिक स्टेट, अल कायदा और पाकिस्तान के पिट्ठू आतंकी संगठनों से भी हैं। बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना भी कह चुकी हैं कि बांग्लादेश में आ बसे 11 लाख रोहिंग्या न केवल उनके देश, बल्कि पूरे क्षेत्र की सुरक्षा के लिए खतरा बन गए हैं। ऐसे समूह जिहादी ताकतों को विस्तार देने के लिए एकदम माकूल होते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के जोखिम को देखते हुए भारत द्वारा रोहिंग्या को सीएए से दूर रखने का औचित्य समझ आता है। श्रीलंकाई शरणार्थियों की समस्या देश में दशकों तक चले गृहयुद्ध से उपजी थी और उसके समाप्त होने के साथ ही उसका पटाक्षेप समझा जाना चाहिए।

इस प्रकार सीएए संवैधानिक रूप से पूरी तरह वैध है। यह प्रताड़ित लोगों को मानवीय आधार पर आसरा देने वाला कानून है। यह मुस्लिम विरोधी नहीं है। वे भी नागरिकता कानून के एक अलग प्रावधान से नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। सच तो यह है कि पिछले कुछ अर्से में करीब 600 मुस्लिमों को भारतीय नागरिकता दी भी जा चुकी है। इस कानून का सीमित दायरा संवैधानिक नैतिकता एवं सार्वजनिक नीति से आबद्ध है। यह कानून तनिक भी विभाजनकारी नहीं है, लेकिन अफसोस है कि इसके विरोधी अपने कुत्सित हितों की पूर्ति के लिए इसकी मनमानी व्याख्या में जुटे हुए हैं।

(लेखक वरिष्ठ वकील हैं)

response@jagran.com

झूठ और फरेब से भरा अभियान

अवधेश कुमार

सीएए विरोध के बहाने कुछ लोग मोदी सरकार को मुसलमान विरोधी साबित करने पर तुले हैं

राजधानी दिल्ली का शाहीन बाग इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। वहां के घटनाक्रम को देख-सुनकर यह साफ हो जाएगा कि पूरा धरना ही झूठ, भ्रम, नासमझी, पाखंड, सांप्रदायिक सोच और भाजपा, संघ, नरेंद्र मोदी एवं अमित शाह के प्रति एक बड़े वर्ग के अंदर व्याप्त नफरत की सम्मिलित परिणति है। वहां अधिकतर को पता ही नहीं कि नागरिकता संशोधन कानून, एनपीआर या एनआरसी है क्या? कई लोग कहते मिल जाएंगे कि मोदी और शाह मुसलमानों को बाहर निकालना चाहते हैं या हमें कैद में रखना चाहते हैं। कहा जा रहा है कि नागरिकता संशोधन कानून मुसलमानों के खिलाफ है। यह भ्रम है जिसे योजनापूर्वक फैलाया गया है। आप पूरी व्यवस्था देख लीजिए, इतना भारी संसाधन बिना पूर्व योजना के आ ही नहीं सकता। इसका वित्तपोषण भी एक रहस्य बना हुआ है कि आखिर कौन इतना खर्च कर रहा है?

इस बहुप्रचारित धरने में कई तरह के लोगों की भूमिका है। पहली श्रेणी में ऐसे लोग हैं जिनके अंदर वाकई यह भय पैदा कर दिया गया है कि मोदी सरकार मुस्लिम समुदाय के खिलाफ काम कर रही है इसलिए हमें अपनी रक्षा के लिए वहां जाना चाहिए। दूसरी श्रेणी में वे लोग हैं जिनको सच मालूम है, लेकिन मोदी और भाजपा से नफरत में उन्होंने यह आग लगाई है और वे वहां डटे हुए हैं ताकि आग बुझे नहीं। तीसरी श्रेणी में वे हैं जिनका आंदोलन से कोई लेना-देना नहीं। वे या तो अपने नेता, मालिक या अन्य के कहने या फिर पैसे एवं अन्य लालच में आते हैं। चौथी श्रेणी नेताओं की है जो वहां इसलिए जा रहे हैं ताकि वे मुसलमानों के हमदर्द बनकर उनका वोट पा सकें। पांचवीं श्रेणी उनकी है जो जेएनयू से लेकर जामा मस्जिद एवं अन्य कई जगहों पर देश विरोधी नारों से लेकर उत्पात की वजह बने हैं। उन्हें लगता है कि इसके साथ जुड़कर वे अधिक ताकतवर होंगे एवं मोदी सरकार पर दबाव बढ़ेगा। छठी श्रेणी मजहबी कट्टरपंथियों की है जो देश में जिहादी माहौल पैदा करने लिए सक्रिय हैं। अगर इन सबको साथ मिला दें तो निष्कर्ष यह है कि हर हाल में मोदी सरकार को मुसलमान विरोधी, सांप्रदायिक, लोकतंत्र का हनन करने वाला करार देकर देश एवं दुनिया में बदनाम करना है। हालांकि उन्हें इसमें सफलता मिलने की संभावना इसलिए नहीं है कि ऐसे झूठ और फरेब पर आधारित प्रदर्शन से मोदी सरकार का समर्थन ही बढ़ेगा।

दिल्ली-एनसीआर का एक बड़ा वर्ग इस धरने के कारण लगने वाले जाम से परेशान होकर इसके खिलाफ है। लोग विरोध में प्रदर्शन भी करने लगे हैं। हालांकि मीडिया के बड़े समूह द्वारा तथ्य सामने रखने तथा अलग-अलग संगठनों द्वारा मोहल्ला सभाओं में नागरिकता कानून का सच बताने से मुस्लिम समुदाय के अंदर भी यह भाव पैदा हो रहा है कि इस कानून से उनका तो कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन उनमें यह भाव जैसे-जैसे बढ़ रहा है, मोदी विरोधी उन्हें एनपीआर एवं एनआरसी का भय दिखाकर कह रहे हैं कि एनपीआर में तुमसे पहचान मांगी जाएगी, तुम्हारे खानदान का विवरण मांगा जाएगा और नहीं देने पर तुम भारत के नागरिक नहीं रहोगे। वे यहां तक दुष्प्रचार कर रहे हैं कि उसके बाद तुम्हें जिस सेंटर में रखा जाएगा वहां मोदी और शाह केवल एक समय भोजन देंगे। सबसे भयावह स्थिति इस तथाकथित आंदोलन में छोटे-छोटे बच्चों का दुरुपयोग है। उनके अंदर किस तरह का जहर भरा जा रहा है, यह उनके बयानों एवं नारों से मिल जाएगा। जिसे आजादी का अर्थ नहीं मालूम उसे रटवाकर नारा लगवाया जा रहा है। एक बच्ची कह रही है कि मोदी और शाह हमें मारने वाले हैं, लेकिन हम उन्हें मार डालेंगे। एक बच्चा नारा लगा रहा है कि जो हिटलर की चाल चलेगा और उसके साथ सब बोल रहे हैं कि वह हिटलर की मौत करेगा। कोई बच्चा बिना सिखाए यह नारा बोल सकता है क्या?

इस तरह बच्चों के अंदर सांप्रदायिकता और हिंसा का बीज बोने वाले आखिर देश को कहां ले जाना चाहते हैं? इन बच्चों का क्या दोष है? लेकिन यह भी रणनीति है। बच्चों और महिलाओं को आगे रखो ताकि दुनिया का मीडिया यह सुने और इन पर कोई कार्रवाई हो तो फिर हमें छाती पीटने का मौका मिल जाए कि महिलाओं और बच्चों के साथ बर्बरता की गई। इनके नेताओं के मुंह से बार-बार यही निकलता है कि महिलाएं यहां अपने अधिकारों और संविधान की रक्षा के लिए लड़ रही हैं तो उनके बच्चे कहां जाएंगे? प्रश्न है कि यह ऐसे ही चलेगा या इस पर पूर्ण विराम लगाया जाएगा? यह कहना कि विरोध-प्रदर्शन हमारा संवैधानिक अधिकार है, इस खतरनाक अभियान का सरलीकरण करना है। सबसे पहले तो किसी विरोध या आंदोलन का तार्किक आधार होना चाहिए। नागरिकता कानून मुसलमानों के खिलाफ है नहीं। एनपीआर 2010 में लागू हुआ, 2015 में उसको अद्यतन किया गया। तब कोई समस्या नहीं आई। वह जनगणना का भाग है और सरकार के कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए आवश्यक है। एनआरसी अभी आया नहीं है। जब आएगा और उसमें कुछ आपत्तिजनक बातें होंगी तो उसका विरोध किया जाना चाहिए। इस समय ऐसा कुछ है नहीं। तो जिस विरोध का कोई तार्किक आधार नहीं है, जिसमें एक समुदाय को भड़काने जैसे सांप्रदायिकता के तत्व साफ दिख रहे हैं, जिसका पूरा उद्देश्य ही कुत्सित राजनीति है वह संवैधानिक अधिकार के तहत नहीं आ सकता। संविधान में मौलिक अधिकार के साथ मौलिक कर्तव्य भी हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि अधिकारों के नाम पर ऐसी स्थिति पैदा कर दें जिनसे दूसरे के लिए कर्तव्य पालन कठिन हो जाए और वह भी सुनियोजित राजनीतिक साजिश के तहत।

देश के कुछ अन्य हिस्सों में भी शाहीन बाग जैसे धरने जारी हैं। ऐसे धरनों के कारण देश के बड़े वर्ग में गुस्सा पैदा हो रहा है। खतरा यह है कि कहीं प्रतिक्रिया में वह इन्हें चुनौती देने लगा तो फिर स्थिति नियंत्रण से बाहर हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि इसका कानूनी तरीके से अभी अंत किया जाए।

(लेखक राजनीतिक विश्लेषक हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

यादों की खिड़की

यादें मानव जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। यादों का कारवां अनवरत चलता रहता है। जैसे-जैसे हम जीवन की राह में आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे-वैसे यादों का कारवां फलता-फूलता जाता है। यादें हमसे परछाई की तरह चिपकी रहती हैं। मानव का अतीत यादों से भरा हुआ होता है। कुछ यादें दुख एवं विषम परिस्थितियों के अवसाद से घिरी रहती हैं तो कुछ यादें हंसी, खुशी और रोमांच से भर देने वाली होती हैं। यादें अच्छी हों या बुरी, दोनों ही जिंदगी की सच्चाई होती हैं। अच्छी यादें जिंदगी में आगे बढ़ने का हौसला देती हैं तो बुरी यादें हमें जिंदगी की आगामी कठिनाइयों से लड़ने का अनुभव प्रदान करती हैं। अतः प्रत्येक इंसान को अपनी यादों की खिड़की खुली रखनी चाहिए। अपनी यादों को स्मरण और अपने मित्रों एवं सगे-संबंधियों से साझा करते रहना चाहिए।

दुनिया में तीन तरह के लोग होते हैं, एक तो वे जो अपनी यादों के सहारे पूरी जिंदगी गुजार देते हैं, दूसरे वे जो यादों से सबक लेकर अपनी जिंदगी संवार देते हैं और तीसरे वे जो बुरी यादों को याद करके खुद का वर्तमान और भविष्य दोनों ही बर्बाद कर देते हैं। आज अवसाद का प्रमुख कारण भी यही है कि व्यक्ति अच्छी यादों के बजाय बुरी यादों में ज्यादा डूबा रहता है। एक बुरी याद व्यक्ति को घंटों तक नकारात्मक करके वर्तमान जीवन के प्रति मोहभंग कर देती है। इस हताशा में व्यक्ति नशीले पदार्थों के चंगुल में फंसकर अपना अनर्थ करने लग जाता है। हमें बुरी यादों को भुनाने के बजाय भुलाने का प्रयास करना चाहिए। जिंदगी उत्कर्ष और अपकर्ष, जय और पराजय, खुशी और गम का मिश्रित रूप है। अतः दुख और सुख प्रत्येक इंसान की जिंदगी में स्वाभाविक हैं। दुखों से हम बच नहीं सकते हैं और सुख भी हमसे अधिक समय तक अछूते नहीं रह सकते हैं। किसी इंसान के जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी कोई चीज होती है तो वह है धैर्य। जो धैर्यपूर्वक अपने दुखों के पलों को गुजार देता है उसी के हिस्से ही सुख भी आता है।

देवेंद्रराज सुथार

अधिकारों से पहले जानें कर्तव्य

शिवांशु राय

जब हम अधिकारों की बात करते हैं तो यह हमारा दायित्व है कि हम अपने नैतिक और कानूनी कर्तव्यों की भी बात करें और उनका पालन करें

कर्तव्य से यह बोध होता है कि वह कार्य जिसको मनुष्य करने के लिए नैतिक या कानूनी रूप से प्रतिबद्ध रहता है। कर्तव्य मनुष्य के दैनिक जीवन का हिस्सा है जिसे हर वक्त किसी न किसी रूप में निभाना होता है। कर्तव्य ही हमें अपने कर्मों की ओर उन्मुख करते हैं जो हमारी सफलता का मार्ग प्रशस्त करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं और समाज में संतुलन का भाव बनाए रखते हैं।

यह सत्य है कि कर्तव्यों का बोध किसी भी मनुष्य के अंदर बाहरी प्रेरणा या दबाव से नहीं, बल्कि आंतरिक और नैतिक प्रेरणा से आता है। यह मनुष्य के अंदर स्थायित्व और संतुलन का बोध कराती है, क्योंकि बाहरी प्रेरणा छणभंगुर होती है उसमें स्थायित्व नहीं होता। नैतिक प्रेरणा के कारण ही कर्तव्य मनुष्य के अंदर आदर्श व्यवहार का निर्माण करता है जो व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में समन्वय के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसके पालन से मनुष्य के अंदर निःस्वार्थता और समानता जैसे गुणों का विकास होना शुरू हो जाता है जो समाज में भी संतुलन बनाए रखते हैं। शास्त्रों में अधिकारों के बजाय कर्तव्यों का ही वर्णन है जो वास्तव में एक संतुलित समाज के निर्माण में सहायक है। हमारे देश के संविधान में भी कर्तव्यों का उल्लेख प्रमुखता से किया गया है।

कर्तव्य दो प्रकार के होते हैं एक नैतिक कर्तव्य और दूसरा कानूनी कर्तव्य। नैतिक कर्तव्यों के अंतर्गत मनुष्य द्वारा स्वयं मानवता और सामाजिकता के लिए नैतिक भावना से किए गए कार्य होते हैं जो राज्य द्वारा बाध्यकारी नहीं होते। वहीं कानूनी कर्तव्यों को राज्य का संरक्षण प्राप्त होता है। अक्सर हमें अधिकारों और कर्तव्यों के बीच द्वंद्व देखने को मिलता है, क्योंकि हम हक और अधिकारों के प्रति हमेशा सचेत रहते हैं, जिसका एक पक्ष यह भी है कि हमें शुरू से अधिकारों को बताया और पढ़ाया जाता है, पर मनुष्य अधिकारों की बात करते वक्त अक्सर अपने कर्तव्यों को भूल जाता है। यह संकीर्ण नजरिया है, क्योंकि कर्तव्य जीवन पद्धति को सुगम बनाने के साथ-साथ समाज में समानता और समन्वय की वकालत करते हैं।

वास्तविकता यह है कि अधिकार और कर्तव्य दोनों समांतर चलते हैं। जब हम अधिकारों की बात करते हैं तो यह हमारा दायित्व है कि हम अपने नैतिक और कानूनी कर्तव्यों की भी बात करें और उनका पालन करें। इससे मनुष्य को अपने 'निश्चित दायरे' को समझने में सहायता मिलती है। यह गुण हमें कमजोर नहीं, बल्कि मजबूत बनाता है, क्योंकि मनुष्य जब अपने कार्य के दायरे को पहचान लेता है तो वह कार्य व्यवस्थित होने के साथ-साथ दृढ़-निश्चय, आत्मविश्वास और नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण रहता है। साथ ही संतुलन की स्थिति स्वभावतः ही उत्पन्न हो जाती है। चूंकि जिंदगी जीने के लिए एक संतुलित व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन की आवश्यकता होती है इसलिए यह एक आदर्श स्थिति होती है। संतुलन से ही तो मजबूती आती है।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

संवैधानिक मान्यताओं का अनादर

सीएए पर सस्ती राजनीति शीर्षक से लिखे अपने लेख में संजय गुप्त ने नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए सहित एनपीआर और एनआरसी पर विपक्षी दलों तथा वामपंथी एक्टिविस्टों द्वारा फैलाए जा रहे झूठ का पर्दाफाश किया है। संसद से पारित कानून का जिस तरह से सड़कों पर उतर कर विरोध किया जा रहा है, वह संवैधानिक मान्यताओं का अनादर ही नहीं, संघीय ढांचे को सीधे तौर पर दी जाने वाली चुनौती भी है। इन विपक्षियों-वामपंथियों को सीएए के विरोध के नाम पर नारा-ए-तकबीर अथवा जिन्ना वाली आजादी जैसे मजहबी नारों से कोई तकलीफ नहीं, किंतु इस्लामिक देशों में शोषित, दलित और हर तरह से सताए गए अल्पसंख्यकों के जख्मों पर सरकार द्वारा मरहम लगाना कतई मंजूर नहीं। उल्लेखनीय है कि गतिहीनता से हर चीज सड़ने लगती है, चाहे वह पानी हो या फिर कोई विचारधारा। विपक्षियों-वामपंथियों का छद्म धर्मनिरपेक्षतावाद भी इसी सच का शिकार है। लेखक ने बिल्कुल वाजिब सवाल किया है कि क्या भारत के मुसलमानों का हित देश हित से अलग है। अच्छा होगा कि मुस्लिम समाज विपक्षियों द्वारा फैलाए जा रहे छल-प्रपंच के इस जाल को समझे। यूं भी सुप्रीम कोर्ट सीएए के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई करने जा रही है, तब सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।

chandankarn9470@gmail.com

दलित-मुस्लिम गठजोड़

दैनिक जागरण के 16 जनवरी के अंक में प्रकाशित बद्री नारायण का लेख, दलित-मुस्लिम गठजोड़ की राजनीति, में लेखक के विचार पढ़कर निराशा हुई। उन्होंने बड़ी सफाई से उन तथ्यों को छिपाने की कोशिश की है जिसे दलितों को भलीभांति जानना चाहिए। इतिहास के तथ्यों को छिपाकर बनाए जाने वाले गठजोड़ की बुनियाद न केवल कमजोर होगी, बल्कि दलितों के लिए विनाशकारी भी होगी। पाकिस्तान इसका सुबूत है। बद्री नारायण जी लिखते हैं कि जोगेंद्र नाथ मंडल ने संविधान सभा के चुनाव में दलित मुस्लिम गठबंधन बनाने का सफल प्रयास किया। लेकिन जोगेंद्र नाथ मंडल के भारत लौटने व पाश्चाताप में गुमनामी में जीने की जानकारी संक्षिप्त में दे दी। अच्छा होता कि वे मंडल जी के भारत लौटने के पीछे की कहानी को, उनके द्वारा लिखे गए इस्तीफे के पत्र के बारे में लोगों को विस्तार से बताते। किस प्रकार दलितों को मारा काटा गया? उनके घर जलाए गए। दलित महिलाओं के साथ घिनौनी हरकतें की गईं व उन्हें सैनिकों की छावनियों में भेजा गया। यह सही है कि ऐसे किसी भी गठबंधन के लिए सामाजिक सहभागिता, भाईचारा आवश्यक है, लेकिन सैकड़ों साल से अब तक के अनुभव क्या कहते हैं? क्या मुस्लिमों ने दलितों को कभी सम्मान दिया? क्या उन्हें साथ बैठाया? दो विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक पहचान वाले समूह के राजनीतिक गठबंधन की नींव कभी भी मजबूत नहीं हो सकती। इसे केवल स्वार्थ का गठबंधन कहा जा सकता है।

kumaranil1570@gmail.com

ताकि न हो पुनरावृत्ति

पूर्वी उप्र, बिहार और अब राजस्थान के अस्पतालों में बच्चों की दुःखद मौतों ने हमारी स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खोलकर रख दी है। राजस्थान के कोटा में अनेक बच्चों की मौतों से हमें सबक लेने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर अनेकों योजनाएं चल रही हैं, परंतु इनमें अभी भी बहुत कुछ सुधार करने की जरूरत है, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होने से रोका जा सके।

हितेंद्र डेढ़ा, चिल्ला गांव

निर्भया की मां का अपमान

अधिवक्ता इंदिरा जय सिंह से यह कहना चाहता हूं कि निर्भया की मां अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए दर-दर भटक रही हैं और देश दुनिया की अधिकांश जनता उनके साथ है। सोनिया गांधी की तुलना निर्भया की मां से नहीं की जा सकती। निर्भया की मां एक आम महिला हैं, जबकि सोनिया गांधी राजनीतिज्ञ हैं। वह जो भी निर्णय लेंगी उसमें राजनीति की गंध महसूस की जा सकती है। उनका अनुसरण करने की सलाह देना एक आम महिला का अपमान है। इसके लिए इंदिरा जय सिंह को माफी मांगनी चाहिए।

udai.srivastava@rediffmail.com

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।